राजस्थान सरकार

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांकः 116/हनुमानगढ़/2009-2010

यह प्रमाणित किया जाता है कि **चन्दूराम सुथार गैमोरियल शिक्षण संस्थान छानीबड़ी जिला हनुमानगढ़** का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक **28-08-2009** (अठाईस अगस्त दो हजार नौ ) को हनुमानगढ़ में दिया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
हनुमानगढ़

15. कोष संबंधी विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1. अध्यक्ष 150,000/- रु.
2. मंत्री 1,00000/- रु.
3. कोषाध्यक्ष 50,000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जाएगी।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

18. संस्था [illegible]

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जावेगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च होगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन

संस्था के विधान में आवश्यक हुआ तो संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण

रजिस्ट्रार संस्थाएँ हनुमानगढ़ को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) चन्दु राम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान, छानी बड़ी समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 116/हनु/2009-10
2. संस्था का नाम चन्दुराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान छानी बड़ी
3. किश्त दस्तावेज विधान नियमावली स्मरण पत्र चालान
4. दस्तावेजों की संख्या तीन
5. दिनांक पंजीयन 28-8-09

रजिस्ट्रार संस्थाएं
हनुमानगढ़ (राज०)

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्य प्रति है
हस्ताक्षर पढ़ने वाले के [illegible]
हस्ताक्षर सुनने वाले के
नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की दि० 31-8-09
नकल तैयार करने की दि० 31-8-09
नकल देने की दि० 31-8-09

रजिस्ट्रार संस्थाएं
हनुमानगढ़ (राज०)

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य

संस्था की प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1. अध्यक्ष
   1. बैठकों को आहूत करना।
   2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
   3. बैठकें आहूत करना।
   4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
   5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
2. उपाध्यक्ष
   1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
   2. प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
3. मंत्री
   1. बैठकें आहूत करना।
   2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
   3. आय-व्यय पर नियंत्रण रखना।
   4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
   5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
   6. पत्र व्यवहार करना।
   7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक कार्य जो आवश्यक हो।
4. उपमंत्री
   1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
   2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।
5. कोषाध्यक्ष
   1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
   2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
   3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
   4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष

संस्था कोष निम्न प्रकार संचित होगा :

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय शुल्क
   1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जाएगी।
   2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

| क्र.सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री भागमल सुथार S/o श्री काशीराम | समाजसेवी | VPO- छानी बड़ी | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती निर्मला W/o दीवान सिंह | गृहणी | VPO- छानी बड़ी | सचिव/मन्त्री |
| 3. | श्रीमती मन्जु प्रसाद D/o जगदीश प्रसाद | शिक्षाविद | VPO जैतपुरा, राजगढ़ | कोषाध्यक्ष |
| 4. | श्रीमती राजबाला W/o जयप्रकाश | गृहणी | VPO छानी बड़ी | उपाध्यक्ष |
| 5. | श्री मैनपाल S/o श्री फूसाराम स्वामी | शिक्षाविद | अनुपशहर | सदस्य |
| 6. | श्री भीम सिंह S/o श्री अमर सिंह | शिक्षाविद | छानी बड़ी | सदस्य |
| 7. | श्रीमती शान्ती देवी W/o श्री रमेश कुमार | गृहणी | श्रीगंगानगर | सदस्य |
| 8. | श्री महेन्द्र S/o श्री मनीराम | व्यवसायी | हनुमानगढ़ | सदस्य |
| 9. | श्रीमती नारायणी W/o ईश्वर चन्द्र सुथार | गृहणी | छानी बड़ी | सदस्य |
| 10. | श्रीमती मीरा W/o मुकेश जोगी | गृहणी | छानी बड़ी | सदस्य |
| 11. | श्री लाल चन्द S/o लेखराम | शिक्षाविद | नगराना | सदस्य |
| 12. | श्रीमती सुनीता W/o मुकेश फलवाड़ीया | गृहणी | श्रीगंगानगर | सदस्य |
| 13. | श्री मनोज कुमार S/o महावीर प्रसाद | शिक्षाविद | छानी बड़ी | सदस्य |
| 14. | श्रीमती सीता शर्मा W/o सुरेश कुमार शर्मा | गृहणी | भाँसल | सदस्य |
| 15. | श्रीमती वीणा W/o महेश कुमार | गृहणी | छानी बड़ी | सदस्य |
| 16. | श्रीमती बिरमा देवी W/o आत्माराम सुथार | गृहणी | छानी बड़ी | सदस्य |
| 17. | श्रीमती ममता W/o हरीश कुमार | शिक्षाविद | छानी बड़ी | सदस्य |
| 18. | श्री वीर सिंह S/o श्री लाल चन्द | शिक्षाविद | मसीतांवाली | सदस्य |
| 19. | श्रीमती गुड्डी देवी W/o नवनीत कुमार | गृहणी | छानी बड़ी | सदस्य |
| 20. | श्री रमेश कुमार S/o रामस्वरूप | व्यवसायी | छानी बड़ी | सदस्य |
| 21. | श्रीमती कलावती W/o महेन्द्र सिंह | शिक्षाविद | हनुमानगढ़ | सदस्य |

रजिस्ट्रार संस्थाएं (राज.)

Bhagmal
अध्यक्ष

Nirmala
मंत्री

Manju
कोषाध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| 4. | सदस्यता | निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।<br>1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।<br>2. बालिग हों।<br>3. पागल, दिवालिये न हों।<br>4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।<br>5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों। |
| 5. | सदस्यों का वर्गीकरण | संस्था के सदस्यों का निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे<br>1. संरक्षक 2. विशिष्ठ<br>3. सम्माननीय 4. साधारण<br>(जो लागू न हो, उसे काट दीजिए) |
| 6. | सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा | उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकाश शुल्क व चन्दा देय होगा :-<br>1. संरक्षक राशि ..... वार्षिक/आजन्म<br>2. विशिष्ठ राशि 20,000/- वार्षिक/आजन्म<br>3. सम्माननीय राशि ..... वार्षिक<br>4. साधारण राशि 10,000/- वार्षिक<br>उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .....<br>की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी। |
| 7. | सदस्यता से निष्कासन | संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-<br>1. मृत्यु होने पर<br>2. त्याग पत्र देने पर<br>3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर<br>4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर |
| 8. | साधारण सभा | संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। |
| 9. | साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य | साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :-<br>1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।<br>2. वार्षिक बजट पारित करना।<br>3. प्रबंधकारिणी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।<br>4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।<br>(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।) |
| 10. | साधारण सभा की बैठकें | 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।<br>2. साधारण सभा की बैठक का कौरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।<br>3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जाएगी। |

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन के पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर उक्त 15 सदस्यों में कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार से बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

**11. कार्यकारिणी का गठन**

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चालने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके पदाधिकारी एवं सदस्य निम्न होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मंत्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सात सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबधकारिणी में 4 पदाधिकारी व 17 सदस्य कुल 21 सदस्य होंगे।

**12. कार्यकारिणी का निर्वाचन**

1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।

**13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य**

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :-

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

**14. कार्यकारिणी की बैठकें**

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जाएगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

चन्दु राम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान ........ समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था
छानीबड़ी त० - भादरा

# विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम "चन्दु राम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान छानीबड़ी त० - भादरा ........ समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ........ छानीबड़ी त० भादरा जिला हनुमानगढ़ ........ है तथा इसका कार्यक्षेत्र छानीबड़ी, हनुमानगढ़ ........ क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप
1. प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक, तथा तकनिकी एवं व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- महिला शिक्षा एवं नारी उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना।
2.
- शैक्षणिक एवं सहभागी प्रवृतियों के माध्यम से युवा वर्ग का बहुमुखी विकास करना।
3. पर्यावरण सुधार से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना।
- मानव धर्मों में शिक्षा संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण कॉलेज, मेडीकल कॉलेज
4. व्यवसायिक एवं टैक्नीशीयन शिक्षा हेतु इन्जीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज एवं
विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
5. - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु, छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र व उनके कल्याण हेतु
6. संस्थानों का संचालन करना।
- छात्र एवं छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना।
7. - केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गतिविधियों में सहयोग करना।
8. - लोगों में विधिक चेतना जाग्रत करना तथा विधि महाविद्यालय खोलकर
विधि का ज्ञान कराना। कृषि महाविद्यालय की स्थापना करना।
9. - कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना। अनुसूचित जाति एवं अनु० जन जाति के हेतु उत्थान करना
10. समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का संचालन करना।
- व्यवसाय एवं सामान्य ज्ञान में आजीविका हेतु शिक्षा देना। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च
11. शिक्षा को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग में देशभक्ति, निर्भयता, अनुशासन निष्ठा व सामशीलता
12. तथा अन्य चारित्रिक गुणों का विकास करना।
- विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं को संचालित करना, सामाजिक उत्थान का कार्य करना।
13.
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम
14. आयोजित करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु
15. आवश्यकता अनुसार बैंकों से ऋण लेकर, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य संस्थाएं संचालित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं ... नगढ़ (राज.)

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

| क्र.सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 26. | 1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 116/हनु0/2009-10 | | | |
| 27. | 2. संस्था का नाम चन्दुराम सुथार मेमोरियल शिक्षण संस्थान धानी बड़ी | | | |
| 28. | 3. किस्त दस्तावेज संविधान पत्र स्मृतिपत्र ज्ञापन | | | |
| | 4. दस्तावेजों की संख्या ....तीन.... | | | |
| 29. | 5. दिनांक पंजीयन ....28-8-09.... | | | |
| 30. | रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज0) | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| 34. | | | | |
| 35. | | | | |

(मुहर: रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.))

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम इस संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

व्याख्याता
एन.डी.बी.राज. महाविद्यालय
नोहर (हनुमानगढ़)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

व्याख्याता
एन.डी.बी.राज. महाविद्यालय
नोहर (हनुमानगढ़)

ATTESTED
OATH COMMISSIONER
HANUMANGARH

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

चन्दुराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

## संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम चन्दुराम मैमोरियल शिक्षण संस्थान छानी बड़ी त० भादरा समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय छानी बड़ी, त० भादरा जिला हनुमानगढ़ है तथा इसका कार्यक्षेत्र छानीबड़ी (हनुमानगढ़) क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य** : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1.- राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक, तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

2.- महिला शिक्षा एवं नारी उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना।

3.- शैक्षणिक व सहभागी प्रवृत्तियों के माध्यम से युवा वर्ग का बहुमुखी विकास करना। पर्यावरण सुधार से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना।

4.- मानव धर्मों में शिक्षा संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण कॉलेज, मेडीकल कॉलेज व्यवसायिक एवं टैक्नीकल शिक्षा हेतु इन्जिनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

5.- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र व उनके कल्याण हेतु संस्थानों का संचालन करना।

6.- छात्र एवं छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना।

7.- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गतिविधियों में सहयोग करना।

8.- लोगों में नैतिक चेतना जाग्रत करना तथा विधी महाविद्यालय खोलकर विधी का ज्ञान करना। कृषि महाविद्यालय की स्थापना करना।

9.- कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना। अनु० जाति एवं अनु० जनजाति हेतु उत्थान कार्य करना। समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का संचालन करना।

10.- खेलकूद एवं सामान्य ज्ञान में अभिरुचि हेतु शिक्षा देना। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।

11.- विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग में देश भक्ति, निर्भयता, अनुशासन, निष्ठा व श्रमशीलता तथा अन्य चारित्रिक गुणों का विकास करना।

12.- विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं को संचालित करना, सामाजिक उत्थान का कार्य करना।

13.- केन्द्र व राज्य सरकार के भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करना।

14.- ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यकता अनुसार बैंकों से ऋण लेकर, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।

15.- जन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य संस्थाएं संचालित [illegible]

---

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

अध्यक्ष　　　　मंत्री　　　　कोषाध्यक्ष

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7 एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र के कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक के सदस्य होने चाहिए।

15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगरपालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रवंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों।

19. अन्य संस्थाएं जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका कि प्रशिक्षण दिया जाता है। योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिए। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा मां जो पूर्व रूपेण आश्रित हो।

21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क करें पंजीयन कार्यवाही कीं चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

22. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

❑❖❑❖❑❖❑❖❑❖

चन्दुराम सुधार मैमोरियल शिक्षण संस्थान समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

## संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम चन्दुराम मैमोरियल शिक्षण संस्थान छानी बड़ी त० - भादरा समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय छानी बड़ी, त० भादरा जिला हनुमानगढ़ है तथा इसका कार्यक्षेत्र छानीबड़ी (हनुमानगढ़) क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1.- राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक, तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

2.- महिला शिक्षा एवं नारी उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना।

3.- शैक्षणिक व सहभागी प्रवृत्तियों के माध्यम से युवा वर्ग का बहुमुखी विकास करना। पर्यावरण सुधार से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना।

4.- मानव धर्मों में शिक्षा संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण कॉलेज, मेडीकल कॉलेज व्यवसायिक एवं टेक्नीशियन शिक्षा हेतु इन्जिनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज एवं

5. – विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र व उनके कल्याण

6. – हेतु संस्थानों का संचालन करना।

छात्र एवं छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना।

7. - केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गतिविधियों में सहयोग करना।

8. - लोगों में विधिक चेतना जाग्रत करना तथा विधी महाविद्यालय खोलकर विधी का ज्ञान कराना। कृषि महाविद्यालय की स्थापना करना।

9. - कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना। अनु० जाति एवं अनु० जनजाति हेतु उत्थान कार्य करना। समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का संचालन करना।

10. - खेलकूद एवं सामान्य ज्ञान में अभिरुचि हेतु शिक्षा देना। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।

11. - विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग में देश भक्ति, निर्भयता, अनुशासन, निष्ठा व रामशीलता तथा अन्य चारित्रिक गुणों का विकास करना।

12. - विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं को संचालित करना, सामाजिक उत्थान का कार्य करना।

13. - केन्द्र व राज्य सरकार के भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करना।

14. - ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यकता अनुसार बैंकों से ऋण लेकर, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।

15. - इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य संस्थाएं संचालित करना।

---

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7 एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र के कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक के सदस्य होने चाहिए।

15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगरपालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रवंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों।

19. अन्य संस्थाएं जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका कि प्रशिक्षण दिया जाता है। योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिए। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा मां जो पूर्व रूपेण आश्रित हो।

21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क करें पंजीयन कार्यवाही कीं चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

22. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

❑❖❑❖❑❖❑❖❑❖

राजस्था संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

# विधान (नियमावली) तथा संघ विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबंधकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाए/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिए क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाए जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 15 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करादें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिए।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
9. प्रबन्धकारिणी के प्रत्येक सदस्य को मूल निवास प्रमाण पत्र/फोटो पहचान पत्र/मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

धारा-20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखिा सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात :-

   पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, * (खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिए स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिए या जनता के लिए खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लि स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिए स्थापित सोसाइटियां।
10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिए गए निर्देशों की पूर्ति करते हुए विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों का/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र/फोटो पहचान पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रूपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

---

* राजस्थान राज-पत्र विशेषांक 4 (इ) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया।

# कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएँ
## हनुमानगढ़

क्रमांक : फा./संस्था/रजि./1252 हनुमानगढ़/ दिनांक :- 28-8-09

श्री चन्दूराम सुथार
मेमोरियल शिक्षण संस्थान
धानी बड़ी

**विषय :– राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।**

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 116/हनु०/2009-10 दिनांक 28-8-09 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें। यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएँ भेजना जरूरी हैं :-

संस्था के मामलों का प्रबंध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद के।

एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया है। संस्था के नियमों और विनियमों की एक तातारीख सही प्रतिलिपि शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हों। इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को पहुंच जानी चाहिए।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है। जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों की पालना करने में विफल रहने वाला अपराध सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् चूक जारी रहती है, पचास रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना में या धारा 4 (क) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जान-बूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकता है।

OW

संलग्न :- मूल प्रमाण पत्र

नोट :- इस कार्यालय में भविष्य में किसी भी प्रकार का